# विज्ञप्ति

**विषय— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत विभिन्न पदों की सेवा प्राप्त किये जाने हेतु सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु निविदा आमंत्रण के सम्बन्ध में।**

निविदा जमा करने का समय व तिथि: 30.09.2019 **प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक**

निविदा खुलने की तिथि व समय: 30.09.2019 **अपरान्ह 04.00 बजे कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या** ।

जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक महोदय अयोध्या की स्वीकृति दिनांक 28::08::2019 एवं प्रमुख सचिव उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या 2987/38-7-2006-10 एनआरईजीए 05 ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर 2008 व भारत सरकार अधिसूचना दिनांक 20 जून 2013 के अनुपालन में योजनान्तर्गत जनपद के विभिन्न विकास खण्डों पर वर्तमान में मानदेय आधार पर कार्मिक के पद रिक्त हैं, जिसके सापेक्ष उक्त मनरेगा कार्मिक की सेवायें सेवा प्रदाता के माध्यम से लिया जाना है। जिसका विवरण निम्नवत:—

| क्र0 | पद का नाम | निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव | अधिकतम देय मानदेय | सामान्य | पिछड़ी | अनुसूचित | कुल योग | धरोहर राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी | शैक्षिक योग्यता—शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के कार्य में वित्तीय प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा कम्प्यूटर के ज्ञान की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखने हुये एम0बी0ए0 /एम0सी0ए0 / एम0 एस0 डब्लू0 /बी0टेक0 /बी0ई उपाधि धारको को सेवा प्राप्त करते समय विशेष अधिमान दिया जायेगा।एम0बी0ए/ एम0सी0ए0 /एम0एस0डब्लू0/ बी0टेक0 की अनुपलब्धता की स्थिति में एम0ए0 **(सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, अप्लाईड ईकोनामिक्स)** और एम0काम0की सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं। निर्धारित आयु— अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हेतु निर्धारित आयु सीमा 21 से 35 वर्ष होनी चाहियें। | 28000.00रू0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2.35 लाख |
| 2 | लेखा सहायक | शैक्षिक योग्यता—बी0कॉम0/एम0कॉम0 आयु सीमा— 21 से 35 वर्ष | 11200.00 रू0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0.67 लाख |
| | | | | 7 | 3 | 2 | 12 | 3.02 लाख |

## —: सेवा प्रदाता हेतु नियम एवं सेवा शर्तें:—

उपरोक्तानुसार निम्न शर्तो के अधीन सेवा प्रदाताओं से सेवा प्रदान करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. आवश्यकतानुसार उपरोक्त सेवायें हेतु समय—समय पर मांग के अनुरूप अतिरिक्त आपूर्ति भी सेवा प्रदाता को सुनिश्चित करना होगा।
2. सेवा प्रदाता के लिये कम्पनी के रूप में 03 वर्ष से पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
3. सेवा प्रदाता कम्पनी का टर्नओवर कम से कम 03 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष होना अनिवार्य होगा। परन्तु यदि इस श्रेणी के सेवा प्रदाता उपलब्ध नही हो पाते हैं तो सीमा को कम भी किया जा सकता है परन्तु यह धनराशि 01 करोड़ रूपये से कम नहीं होगी ।
4. सेवा प्रदाता कम्पनी के लिये आयकर दाता होना अनिवार्य होगा ।
5. सेवा प्रदाता कम्पनी के लिये सरकारी विभागों, संस्थाओं, निगमों व प्रतिष्ठित निजी प्रतिष्ठानों को मैनपावर सप्लाई करने का 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
6. सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा कम से कम 02 Immediately Preceding वर्षो की आडिटेड बेलेंस सीट दिया जाना अनिवार्य होगा ।

स्था-कार्या

9. सेवा प्रदाता को स्वीकृत पदों से तीन गुना अधिक अभ्यर्थी दिये जायेगें जिनका साक्षात्कार जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा किये जाने के उपरान्त गठित समीति के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को लिया जायेगा।

10. सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिकों की सेवायें प्राप्त करते समय प्रत्येक पद के लिये शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. कार्मिकों के लिये दी जाने वाली धनराशि में से सेवा प्रदाता द्वारा कोई कटौती नहीं की जायेगी। यदि ऐसा किया जाता है तो सेवा प्रदाता की सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी तथा विभाग को ब्लैक– लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी । सर्विस चार्जेज आदि का भुगतान कम्पनी को अलग से किया जायेगा।

12. कार्मिकों की सेवा वापिस लेने अथवा हटाने के संबंध मे प्रक्रिया अलग से निर्धारित की जायेगी।

13. अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी व अन्य कार्मिकों की सेवा के लिये अलग– अलग सेवा प्रदताओं का चयन भी किया जा सकता है।

14. निविदा प्रस्तुत करने वाली सेवा प्रदाता को जिलाधिकारी /जिला कार्यक्रम समन्वयक के पक्ष में धरोहर हेतु उल्लिखित धनराशि के दो बैकड्राफ्ट (दोनो पदो के लिये अलग– अलग) की जमानत राशि बैकड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा, जो जिलाधिकारी /जिला कार्यक्रम समन्वयक जनपद अयोध्या के पक्ष में बन्धक होगी।

15. कर्मचारी भविष्य निधि/ई0पी0एफ0/अन्य देयक का जो भी भुगतान /कटौती शासन द्वारा समय– समय पर निर्धारित किया जायेगा वह उभय पक्ष द्वारा नियमानुसार देय होगी।

16. सेवा प्रदाता द्वारा उपरोक्त शर्तो/निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर सेवा प्रदाता की सेवाये सूचना देते हुए अथवा बिना सूचना दिये समाप्त कर दी जायेंगी तथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि जब्त करते हुये सम्पूर्ण प्रदेश के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा ।

17. किसी प्रकार का विधिक विवाद उत्पन्न होने पर जनपद मे स्थित सक्षम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की क्षेत्राधिकारिता ही रहेंगी।

कोई भी निविदा दाता निविदा से सम्बन्धित विस्तृत सूचना एवं सेवा शर्तों तथा पदों की आवश्यकता आदि संदर्भ में सूचना प्राप्त करने हेतु जनपद मनरेगा प्रकोष्ठ जनपद अयोध्या मे किसी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकता है।

(अभिषेक आनन्द)<br>
मुख्य विकास अधिकारी/<br>
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,<br>
अयोध्या।

**कार्यालय जिलाधिकारी /जिला कार्यक्रम समन्वयक अयोध्या।**

पत्रांक 329 /स्था0/मनरेगा/2018–19 दिनांक 12 :: 2019

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अयोध्या को उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति ayodhya.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
2. उप निदेशक सूचना जनपद अयोध्या को इस निर्देश के साथ की जनपद के समस्त समाचार पत्रों मे विज्ञप्ति निशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
3. जिलाधिकारी /जिला कार्यक्रम समन्वयक महोदय अयोध्या की सेवा मे अवलोकनार्थ प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी/<br>
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,<br>
अयोध्या।